प्रश्न सं [क. 3366]

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विमाग मंत्रालय

क्मांक: एफ-4-60/2015/55-2,

भोपाल, दिनांक

पति,

प्रबंध संचालक.

मध्यप्रदेश सडक विकास निगम.

विदिशा में 150 सीटेड चिकित्सा महाविद्यालय एंव 750 बेडेड अस्पताल के निर्माण के संबंध विषय :-

में प्रशासकीय स्वीकृति बावत।

इस विभाग का आदेश क्रमांक एफ 4-62/2013/55-2 दिनांक 26.06.2015 संदर्भ :-

विदिशा में 150 सीटेड चिकित्सा महाविद्यालय एवं 750 बेडेड अस्पताल तथा परिसर का निर्माण कार्य बिल्ड ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर (बीओटी) एन्यूटी योजना पद्धति से करने हेतु इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-62/2013/55-2 दिनांक 26.06.2015 द्वारा रूपयें 308.67 करोड़ की जारी पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति निरस्त की जाती है।

राज्य शासन एतद द्वारा विदिशा में 150 सीटेड चिंकित्सा महाविद्यालय एवं 750 बेडेड अस्पताल तथा परिसर का निर्माण एवं उन्नयन कार्य रूपये 265.19 करोड़ (रूपये दो सौ पैसठ करोड़,

उन्नीस लाख मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त निर्माण कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा सभी कार्य विमाग एवं कार्य विभाग की तरह काम करने वाले विभागों के लिये मानक निविदा प्रपन्न पर निविदा आमंत्रित कर किया

संलग्न-1. परियोजना परीक्षण समिति द्वारा अनुमोदित डी.पी.आर.।

2. परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दि.7.10.2015 का कार्यवाही विवरण।

(एस.एस.क्मरे) उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मोपाल, दिनांक 09/12/2015

पू.कमांक : एफ 4-60 / 2015 / 55-2, प्रतिलिपि:-1 सिचव, भारत सरकार , लोक स्वाख्य परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली ।

2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय भोपाल।

3. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।

4. अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), आडिट भवन, ग्वालियर।

7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल।

8. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।

अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा।

11. संयुक्त संचालक सडअधीक्षक संबद्ध चिकित्सालय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा। 10. कलेक्टर, विदिशा।

12. जिला कोषालय, अधिकारी विदिशा। 13. नोडल अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर पालनार्थ। 13. नाज्य जायकारा, जायराता जिल्ला मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपोल की ओर 14. निज सहायक,मा मंत्री जी / राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपोल की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग

